

**माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ****रिट-सी संख्या 2319 वर्ष 2026**

हिकका @ चंद्र प्रकाश

....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं अन्य

.....विपक्षीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रमोद कुमार सिंह

विपक्षीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या- 5**माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक माथुर**

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार सिंह, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 और 5 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 4 के लिए श्री पंकज गुप्ता की दलीलें सुनीं।
2. प्रस्तावित आदेश के आलोक में, निजी प्रतिवादी को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि राज्य-प्रतिवादियों ने गाटा संख्या 312, 1.121 हेक्टेयर, गांव कोयल खार, पोस्ट इटाई, परगना और तहसील तुलसीपुर, जिला बलरामपुर में स्थित तालाब के पट्टे की नीलामी की थी और नीलामी की कार्यवाही को उप-विभागीय अधिकारी, तहसील- तुलसीपुर, जिला बलरामपुर द्वारा 25.02.2021 को अनुमोदित किया गया था और विपक्षी पार्टी के पक्ष में तय किया गया था।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता भी उसी गाँव का निवासी है और जाति से कश्यप है तथा मत्स्यपालन अधिकारों में प्रशिक्षित है और उसके पास मत्स्य पालक विकास एजेंसी, बलरामपुर द्वारा 19.03.2004 को जारी प्रमाण पत्र है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि नीलामी की कार्यवाही उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 59 के अनुसार की गई थी और याचिकाकर्ता उक्त नीलामी में भाग नहीं ले सका तथा इसे विपक्षी पार्टी संख्या 6 के पक्ष में अवैध रूप से निपटा दिया गया है।
5. याचिकाकर्ता ने विपक्षी पार्टी संख्या 6 के पक्ष में अधिकारों के निपटारे के खिलाफ कई अभ्यावेदन दिए थे, और कोई कार्रवाई न होने के कारण, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 1627/2022, हिव्का @ चंद्र प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व के माध्यम से दायर करने के लिए विवश होना पड़ा, जिसका निपटारा दिनांक 25.11.2024 के आदेश द्वारा किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 59 के तहत एक महीने की अवधि के भीतर अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी गई।
6. दिनांक 25.11.2024 के आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने 12.12.2024 को बलरामपुर के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील दायर की थी, जिसका निर्णय दिनांक 22.04.2025 के विवादित आदेश के माध्यम से किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि बलरामपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार किए बिना और उक्त तालाब के मत्स्य पालन अधिकारों के लिए आयोजित नीलामी की वैधता की जांच किए बिना प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में आदेश पारित किया है। उन्होंने कहा कि न तो नोटिस का विधिवत प्रकाशन किया गया, न ही किसी उचित नियमों का पालन किया गया और यहां तक कि नीलामी के लिए निर्धारित राशि भी विपक्षी पार्टी संख्या 6 द्वारा जमा नहीं की गई, इसलिए पूरी कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।
8. उन्होंने आगे यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता मत्स्य पालन अधिकार प्राप्त करने के लिए अधिक योग्य व्यक्ति है और प्रतिवादी संख्या 6 को उक्त अधिकार याचिकाकर्ता के पक्ष में तय कर देने चाहिए थे, लेकिन बलरामपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने इस पहलू पर भी विचार नहीं किया। तदनुसार, उन्होंने दिनांक 22.4.2025 के विवादित आदेश को रद्द करने और यह निर्देश देने की प्रार्थना की है कि नीलामी याचिकाकर्ता के पक्ष में तय की जाए।
9. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने रिट याचिका का विरोध किया है और विवादित आदेश का समर्थन किया है।
10. याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि इस न्यायालय के दिनांक 25.11.2024 के आदेश के निर्देश पर याचिकाकर्ता ने बलरामपुर के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 59 के तहत अपील दायर की थी। अपील की एक प्रति रिट याचिका के साथ संलग्न है, यह कहा गया है कि कानून के किसी भी प्रावधान का पालन किए बिना, विपक्षी पार्टी संख्या 6 के पक्ष में मत्स्य पालन अधिकार का निपटारा कर दिया गया है। याचिकाकर्ता को जब इस बात की जानकारी हुई, तभी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उसने कई अभ्यावेदन दिए और बाद में इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। इसके फलस्वरूप, उसने अपील दायर की है और उपरोक्त परिस्थितियों में, उसने प्रार्थना की है कि उसकी अपील स्वीकार की जाए और दिनांक 25.02.2021 के उस आदेश को रद्द किया जाए, जिसके द्वारा विपक्षी पार्टी संख्या 6 के पक्ष में मत्स्य पालन अधिकार का निपटारा किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त अपील पर निर्णय लेते हुए याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर विधिवत विचार किया और पाया कि सभी नियमों का पालन किया गया था, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि विवादित तालाब के संबंध में विपक्षी पार्टी संख्या 6 मत्स्य पालन अधिकार प्राप्त करने के लिए पूर्णतः हकदार और पात्र थी।

11. समझौते के अनुसार, विपक्षी पार्टी संख्या 6 को पट्टे की राशि के रूप में 5650 रुपये जमा करने थे, जबकि उसने केवल 5605 रुपये जमा किए हैं, जो कि एक टाइपिंग त्रुटि के कारण है। इसके अलावा, विपक्षी पार्टी संख्या 6 ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि यह पाया जाता है कि उसे 5650 रुपये जमा करने हैं, तो वह अंतर की राशि जमा करने के लिए तैयार है। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि टाइपिंग त्रुटि के कारण ही 5605 रुपये जमा किए गए थे और तदनुसार, उन्होंने माना है कि ऐसी टाइपिंग त्रुटि विपक्षी पार्टी संख्या 6 के पक्ष में पहले से तय नीलामी को रद्द करने का कारण नहीं बन सकती। हम यह भी पाते हैं कि याचिकाकर्ता ने अपील दायर करके केवल अस्पष्ट आधार उठाए हैं और विवादित तालाब की नीलामी में प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में किसी भी खामी के संबंध में कोई विशिष्ट आधार या तथ्य नहीं बताए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में याचिकाकर्ता द्वारा कुछ लिखित दलीलें प्रस्तुत की गईं और अब याचिकाकर्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित दलीलों को ध्यान में रखते हुए अपील का निर्णय किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

12. इस संबंध में यह देखा गया है कि अपीलवीय प्राधिकारी को केवल अपील में वर्णित आधारों और तथ्यों की जांच करने का दायित्व है, जिन पर अपील का निर्णय करते समय पूर्ण रूप से विचार करना आवश्यक है। कोई भी बाद का लिखित बयान अपील के ज्ञापन में बताए गए तथ्यों का स्थान नहीं ले सकता है, और वैसे भी लिखित बयानों में केवल वे बिंदु ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं जो पहले ही अपील में उठाए जा चुके हैं अपीलकर्ता के मामले में, यदि लिखित प्रस्तुतियाँ अभिवेदनों से आगे निकल जाती हैं तो यह घोर कदाचार और विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, और ऐसी लिखित प्रस्तुतियों पर अपील का निर्णय करते समय विचार नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप, हमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों में किए गए उन कथनों को ध्यान में न रखने में कोई त्रुटि नहीं मिलती है जो अपील ज्ञापन में किए गए कथनों से अधिक हैं।
13. तदनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में उठाया गया आधार अस्वीकृत किया जाता है। हम आगे पाते हैं कि यह मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी, बल्कि अपील के अनुच्छेद 4 में दिए गए उसके स्वयं के कथनों से यह स्पष्ट है कि उसने नीलामी में भाग नहीं लिया था और नीलामी को चुनौती देने के संबंध में वह केवल बाद के चरण में उपस्थित हुआ था। उसके अपने बयान के अनुसार, उसने नीलामी की वैधता पर तभी सवाल उठाया जब नीलामी को रद्द कर दिया गया था। उक्त कथन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि याचिकाकर्ता ने कभी भी नीलामी में भाग नहीं लिया था और यह भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा याचिकाकर्ता की अपील को अस्वीकृत करने के कारणों में से एक है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने उक्त नीलामी में भाग ही नहीं लिया था और इसलिए उसे बाद के चरण में उक्त नीलामी की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. विवादित आदेश और याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए तर्कों का अध्ययन करने के बाद, हमें दिनांक 24.4.2025 के विवादित आदेश में कोई खामी नहीं मिली। याचिका में कोई दम नहीं है और इसलिए इसे **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति श्री आलोक माथुर)

आदेश दिनांक: - 18.मार्च.2026

मुक/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।